	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिये जाते है। वास्ते पत्रावली बहस हेतु नियत दिनांक 2.12.21 को पेश हो।	
2.21	उभय पक्ष पुपरिथत पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 11.2.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
2/22	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 24.2.22 को पेश हो।	
4/2/22	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 1085, 1086, 1087 भूमि ग्राम भावलास पखार हल्का भावलास तहसील माण्डल में स्थित उक्त भूमि में प्रार्थीगण के आने-जाने हेतु रास्ता विपक्षीगण 01 लगायत 08 की आराजी नम्बर 1076 रकबा 1.0200 हैक्टेयर भूमि के उत्तरी सीमा से 16 फीट चौड़ाई का रास्ता पूर्व से पश्चिम की मेड़ के सहारे-सहारे कायम किये जाने की ईस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया जिससे जाहिर आया कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी मे आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे विद्यमान नही है। प्रार्थीगण का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है अतः	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

नम्बर अहकाम हुक्म में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजा

: : आदेश : :

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी ग्राम भावलास पटवार हल्का भावलास तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नं. 1085, 1086, 1087 भूमि पर पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है, एव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है. उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण 01 लगायत 08 की आराजी नं. 1076 रकबा 1.0200 हैक्टेयर भूमि के उत्तरी भाग मे से पूर्व से पश्चिम दिशा के सहारे-सहारे प्रार्थीगण की आराजीयात 1085 1086, 1087 तक 12 फीट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है, 12 फीट चौड़ाई के रास्ता के काम मे आने वाली भूमि विपक्षीगण 01 लगायत 08 की आराजियात मे से कम की जाकर रास्ते के रूप मे दर्ज की जावे। राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। प्रार्थीगण से 12 फीट चौड़ाई के रास्ते के रूप मे आने वाली भूमि की D.L.C दर की डबल राशी नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण 01 लगायत 08 को भुगतान करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार मांडल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा